

संख्या-41/10/36-4-75-16/72

(2)

प्रति,

श्री नागिन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
शमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कानपुर।

सेवा में,

अनुभाग-4

तख्तक: दिनांक 6 दिसम्बर, 1975

विषय:- शक्ति आचार्यों का स्वाभित्त्व उरों निवारण कर रहे व्यक्तियों को लौटा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2785/36-4-74-16/72, दिनांक 24-2-74 तथा 515/36-4-75-16/72, दिनांक 21-2-75 के अनुक्रम में भेजा यह कदम का निर्देश हुआ है कि श्री राजपाल महोदय प्रदेश में स्थित औद्योगिक शक्तियों के आचार्य हेतु बनाये गये आचार्यों का स्वाभित्त्व उनमें निरुद्ध कर रहे व्यक्तियों को लौटाने हेतु तत्पत्र की राहर्षी स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वर्तमान में समूह भवनों के आंचटन नियमित रूप से औद्योगिक संस्थानों के पक्ष में है और उनके द्वारा ही श्रम विभाग में किराया जमा कराया जा रहा है अतः विक्रय की सामान्य शर्तों के अधीन औद्योगिक संस्थान क्रय करने के विधिकार प्राप्त हैं। "कार्पोरेट आइडेन्टिटी" को "व्यक्तिगत आइडेन्टिटी" के समतुल्य माना जाना चाहिए। समूह आंचटन के कुछ भवन औद्योगिक तन्त्र के अस्तित्व में स्थित हैं और यदि परिसर में स्थित भवनों को उनमें रहने वाले मजदूरों को विक्रय पर दिया जाता है तो एक विषम स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अतः इस संबंध में समूह विचारोपरान्त निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :-

- 1. 11- यह औद्योगिक संस्थान जो चालू दालत में है और समूह आंचटन के भवनों को क्रय करने हेतु उत्सुक है, उन्हें विक्रय कर दिया जाय और वह अपने कर्मचारियों को अपनी शर्त पर भवन आंचटन करे।
- 1. 12- यदि औद्योगिक संस्थान भवन समूह रूप में खरीदना चाहे तो भवन वर्तमान अवधारणों को विक्रय हेतु आकर - दिया जाय।
- 1. 13- औद्योगिक संस्थानों को भवन समूह तभी विक्रय किये जायें यदि वह चालू दालत में हों और वर्तमान में उनके चले श्रमिक कार्यरत हों।

सकृद्व्यवस्था-भुगतान करने पर 50% तथा पांच वषीय भुगतान योजना में 25% छूट उन अध्यात्मियों को भी समस्त विक्रय मूल्य पर उपलब्ध करा दी जाये जिनसे 21-2-95 के शासनादेश के प्रस्ताव 10 एवं 12 के अधीन क्रमशः 150% एवं 175% मूल्य प्राप्त किया जाये ।

5. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए 21-2-95 के शासनादेश के प्रस्ताव 10, 14 एवं 19 में 31-5-95 की तिथि 31-12-95 कर दी जाय ।

भवदीय,

(Handwritten Signature)

(नागिन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-4/सीएमओ/11/36-4-95-16/92, तदिदनांक ।

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 11: महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
 - 12: समस्त क्षेत्रीय अवर/उप प्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
 - 13: वित्त विभाग निदेशक, अनुभाग-7
 - 14: अवर सचिव, निदेश एवं आचार मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।
 - 15: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

वी० के० त्रिपाठी ।
संपुक्त सचिव ।